न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 30/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2011/00085

उनवान

1. दिनेश आयु 63 साल पुत्र श्री ब्रह्मानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट/प्रतिवादी ।

बनाम

1. श्रीमती शारदा देवी पुत्र रूपकिशोर पत्नि राकेशलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर (मृतक)
   1/1. अशोक कुमार पुत्र राकेश उर्फ रोशन जाति ब्राहम्ण निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर।
2. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री रूपकिशोर पत्नि कुंजीलाल शर्मा निवासी ग्राम मूडिया तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. श्रीमती देवी पत्नि नामालुम पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील वैर हाल तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. शिवदत्त पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर(मृतक)
   4/1. सुभद्रा आयु 86 साल पत्नि स्व0 श्री शिवदत्त
   4/2. योगेन्द्र पाण्डेय आयु 70 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   4/3. यतेन्द्र पाण्डेय आयु 66 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   4/4. नरेन्द्र पाण्डेय आयु 63 वर्श पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   4/5. बालेन्द्र पाण्डेय आयु 59 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   4/6. रविन्द्र पाण्डेय आयु 55 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   } जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।
   4/7. सुनयना पत्नि योगेन्द्र शर्मा पुत्री स्व0 शिवदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी महवा जिला दौसा।
   4/8. प्रियन्दा उर्फ प्रियन्का आयु 46 वर्ष पत्नि रघुवीर सैरावत पुत्री शिवदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी गढ हिम्मत सिंह तहसील महवा जिला दौसा।
5. ब्रह्मदत्त पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर(मृतक)
   5/1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व0 ब्रह्मदत्त
   5/2. यादवेन्द्र कुमार } पुत्रान ब्रह्मादत्त
   5/3. धर्मेन्द्र कुमार }
   5/4. श्रीमती अंजना पुत्री ब्रह्मदत्त
   5/5. श्रीमती सुलोचना पुत्री ब्रह्मदत्त
   } जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र सत्यप्रिय जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
7. श्रीमती सुमन पुत्री सत्यप्रिय पत्नि अशोक कुमार शुक्ला डीएसए नगर पालिका धौलपुर।
8. श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री सत्यप्रिय पत्नि हीरालाल जाति ब्राहम्ण पेशा अध्यापक जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना।
9. श्रीमती ओमवती देवी पुत्री सत्यप्रिय पत्नि रमेश चन्द शुक्ला गॉव रूदावल तहसील बयाना।
10. धर्मेन्द्र } पिसरान हरीदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
11. भारतेन्द्र }

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12. श्रीमती सुनीता पुत्री हरीदत्त पत्नि रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला भरतपुर।
13. श्रीमती अनीता पुत्री हरीदत्त पत्नि नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ऊँच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. श्रीमती अंगूरी देवी विधवा हरीदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
16. योगेन्द्र पुत्र शिवदत्त
17. वीरेन्द्र पुत्र सत्यप्रिय
18. भूपेन्द्र पुत्र ब्रह्मदत्त
19. धीरेन्द्र पुत्र हरीदत्त

जातियान ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

20. विरमादेवी पुत्री श्रीलाल जाति ब्राहम्ण तामील जरिये भारद्वाज स्टोन कम्पनी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
21. जगदीश प्रसाद पुत्र श्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन सिटी अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली।
22. भगवान सहाय पुत्र श्रीलाल जाति ब्राहम्ण तामील जरिये भारद्वाज स्टोन कम्पनी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
23. कमला देवी पत्नि शिवचरन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।
24. श्रीमती विद्या देवी पत्नि हरीशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
25. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि जगदीश प्रसाद ब्राहम्ण निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

..... असल रैस्पो0

26. मुकेश चन्द
27. सुरेश

पिस0 उमेश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर हाल आबाद प्लॉट नं 9 आदर्श नगर कॉलौनी हैड पोस्ट ऑफिस के पीछे भरतपुर।

28. श्रीमती मंजू पुत्री उमेश चन्द पत्नि गणेश जाति ब्राहम्ण कनिष्ट लिपिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नदबई जिला भरतपुर।
29. श्रीमती अंजू देवी पुत्री उमेश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी प्लॉट नं 09 आदेर्श कॉलौनी हैड पोस्ट ऑफिस के पीछे भरतपुर।
30. श्रीमती विमला देवी पत्नि भगवतीलाल मिश्र निवासी पंचायत समिति के पीछे हिण्डौन सिटी, करौली।
31. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि वीरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 02.02.2011 व डिक्री दिनांक 16.03.2011 प्र.सं. 129/61, 479/87, 29/07 उनवानी ब्रह्मानन्द बनाम रूपकिशोर वगै0

उपस्थित :–

1. श्री सुनील गर्ग वकील अपीलांट।
2. श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, नंदकिशोर शर्मा वकील रैस्पो0।

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–29.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 02.02.2011 व डिक्री दिनांक 16.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा वास्ते तकसीम आराजी रकवा 107 बीघा 13 विस्वा मुदर्जे खेवट संख्या 66 व 67 वाके कस्बा भुसावर व दिलाये जाने कब्जा हिस्सा वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा भुसावर तहसील भुसावर व जिला भरतपुर में स्थित है। वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो संख्या 01 लगायत 03 के पूर्व पुरूष रूपकिशोर व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 के पूर्व पुरूष शंकरलाल मॉ जाये भाई हैं व गंगाप्रसाद के पुत्र हैं। गंगाप्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 09.12.1945 को भुसावर में हो चुका है। विवादित आराजी खेवट संख्या 66 व 67 वाके कस्बा भुसावर पिता की पुश्तैनी भूमि है। वादी अपीलाण्ट के पिता प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूष से मिल हुये थे तथा वादी अपीलाण्ट से नाराज हो गये थे। अतः वादी अपीलाण्ट को नुकसान पहुॅचाने के उद्देश्य से एक वसीयतनामा दिनांक 24.01.1941 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूषो के हक में पंजीबद्ध करा दी। वादी अपीलाण्ट को जब उक्त तथ्य का ज्ञान हुआ तो वादी अपीलाण्ट ने उक्त वसीयत को अवैध व प्रभावहीन घोषित किये जाने व सम्पत्ति का विभाजन हेतु सिविल सूट दायर किया जो खारिज हो गया। जिसकी अपील न्यायालय सिविल जजी भरतपुर में की गयी जो दिनांक 26.04.1950 को वसीयतनामा अवैध व बेअसर करार दिया जाकर दावा तकसीम डिक्री कर दिया। किन्तु विवादित आराजीयात बाबत् राजस्व न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही कराने की आज्ञा पारित की दौराने मुकदमा मंसूखी वसीयतनामा प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूषो ने वसीयतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा लिया। विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा है। संयुक्त काश्त होने से वादी अपीलाण्ट अपने हिस्से का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः विवादित आराजी का विभाजन किये जाने कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2011 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि दिनांक 15.03.1965 को जो राजीनामा अपीलाण्ट के पिता ब्रह्मानन्द व रैस्पो0 के मध्य हुआ था व जिसमें अपीलाण्ट के पिता को 1/3 हिस्से की आराजी पर कब्जा व दखल दिया गया था। यह है कि एक सहखातेदार का कब्जा सभी सहखातेदारो का कब्जा माना जाता है। यह है कि घोषणात्मक दावे की कोई मियाद नहीं होती है। शिवदत्त का शपथ पत्र व जिरह जवाब दावा के अभिवचनो से भिन्न है। प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत हुआ है अतः न्यायालय को राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री करना चाहिये था। सिविल न्यायालय से वसीयत निरस्त हो चुकी है। विवादित आराजी का पूर्व में कोई विभाजन नहीं हुआ है। यह है कि दिनेश चन्द से जिरह हुयी है परन्तु उन्होनें कब्जे बाबत् कोई खण्डन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा वापसी बाबत् दावे को अंदर मियाद नहीं माननी में कानूनी त्रुटि की है। मुआवजा प्राप्त होने का जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ है। उक्त दस्तावेज काबिल एडमीशन नहीं है क्योकि यह दस्तावेज जागीर कलक्टर द्वारा जारी किये जाने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है। केवल दस्तावेज को प्रदर्श करा देने से उक्त दस्तावेज सिद्ध

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं माना जा सकता है। यह है कि वादी अपीलाण्ट के पिता ने कोई मुआवजा प्राप्त नहीं किया है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर सीसीसी 2016(1) पेज 270, 483 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ओदश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि अपीलाण्ट ने आराजी खसरा नम्बरान कुल रकवा 107 बीघा 13 विस्वा जमीन के विभाजन का दावा प्रस्तुत किया है। उसमें अपीलाण्ट सहखातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है अतः उन्हें विवादित आराजी के विभाजन का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। खेवट संख्या 66 व 67 में दर्ज आराजी अलग–अलग है एवं पृथक–पृथक रूप से खातेदारी में दर्ज है। यह है कि विवादित आराजी सवंत 2005 से ही अलग अलग खेवट में दर्ज होकर विभाजन हो चुका है एवं रैस्पो0 संवत 2005 से ही विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। वादी अपीलांट ने खेवट संख्या 90 में दर्ज आराजी का कोई जिक्र नहीं किया। संवत 1951 से 1954 की रसीद लगान प्रदर्श डी–4 डी–5, ढालवांछ जमाबंदी संवत 2004 से खेवट नम्बर 67 में दर्ज आराजी का पृथक से वादी अपीलाण्ट के नाम इंद्राज होने की पुष्टी होती है। उक्त दस्तावेज से बखूबी यह प्रमाणित होता है कि वादी अपीलाण्ट को गंगाप्रसाद की मृत्यु दिनांक 09.12.1945 के पश्चात् ही 1/3 हिस्सा अर्थात 35 बीघा 17 विस्वा जमीन कब्जे में प्राप्त हो चुकी थी। शेष 2/3 हिस्सा की आराजी रैस्पो0 को कब्जे में प्राप्त हुयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व पृथक–पृथक इंद्राज हो गये थे। राज लगान वसूल ना होने पर तहसीलदार वैर ने अपीलाण्ट को मफरूर करते हुये जरिये नामान्तकरण संख्या 967 दिनांक 09.07.1957 को खेवट संख्या 67 की आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल कर कब्जा किरोडीलाल पाण्डेय को देकर सुपुर्द कर दिया। अपीलाण्ट ने अपनी खेवट नम्बर 67 की आराजी के मालकाना हक का मुआवजा राज्य सरकार से बाण्ड संख्या 15306 लगायत 15311 से जागी कलक्टर भरतपुर से प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई अधिकार व कब्जा नहीं रहा। यह है कि खेवट संख्या 67 की आराजी में से 11 बीघा 17 विस्वा की आराजी को सुपुर्ददार किरोडीलाल पाण्डेय से रैस्पो0 02 ने पट्टे में लेकर कब्जा प्राप्त किया था जिस पर रैस्पो0 विधि पूर्वक रूप से काश्त करते व काबिज चले आ रहे हैं। अतः जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन लागू होने पर रूपकिशोर व शंकरलाल जरिये नामान्तकरण संख्या 1148 दिनांक 24.09.1960 से खातेदार दर्ज हुये हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी को शामलाती खातेदारी एवं कब्जा साबित नहीं कर सका है। अपीलाण्ट ने प्रतिवादी रैस्पो0 रमजी, भम्बू, चौधरी, हरनारायण को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है। क्योंकि उक्त रैस्पो0 गंगाप्रसाद के वंशज नहीं है। यह है कि राजीनामा में राजस्थान सरकार की सहमति के बिना मान्य नहीं है तथाकथित राजीनामा में जिस आराजी का उल्लेख है। राजीनामा के दिन वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार ही दर्ज नहीं थे। अतः राजीनामा प्रारम्भ से ही शून्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी में दावा प्रस्तुती के समय खातेदार व सहखातेदार दर्ज नहीं होने के कारण सही प्रकार से दावा खारिज किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित आठ तनकियॉ कायम की गयी है। जिनमें तनकी संख्या 01 व 02 वादी अपीलाण्ट के दावे की सफलता के लिये महत्वपूर्ण तनकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकियो को निस्तारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कारण सहित विस्तार से विवेचना की जाकर विरूद्ध वादीगण अपीलाण्ट तय की गयी हैं। हम पाते हैं कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताते हुये, उसमें अपने 1/3 हिस्से की घोषणा एवं कब्जा वापस दिलाये जाने का दावा प्रस्तुत

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

करते हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार खेवट संख्या 66 रूपकिशोर व शंकरलाल पिसरान गंगाप्रसाद की खुदकाश्त मालकान व खेवट संख्या 67 वादी अपीलाण्ट के पिता ब्रहमानन्द की खुदकाश्त की आराजी दर्ज रही है, जो उनके पिता गंगाप्रसाद की मृत्यु होने पर उनकी खेवट संख्या 90 रकवा 107 बीघा 13 विस्वा से 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण रैस्पो0 के नाम व 1/3 हिस्सा वादी अपीलाण्ट के पिता के नाम विभाजित हुयी है। पत्रावली पर उपलब्ध ढॉल–बॉछ में भी विवादित आराजी अलग–अलग मालकान के नाम दर्ज है। वादी अपीलाण्ट ने अपनी जिरह में विवादित आराजी पर अन्य का कब्जा काश्त बताया है। इस प्रकार विवादित भूमि पूर्व से ही विभाजित होकर अन्य खातेदारो की खातेदारी में जा चुकी है। अतः वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई स्वत्व व कब्जा नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से तनकी संख्या 01 व 02 को वहक प्रतिवादी रैस्पो0 विरूद्ध वादी अपीलाण्ट तय किया है। जहॉ तक विवादित आराजी का राजीनामा से वादी अपीलाण्ट के पिता को प्राप्त होने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा में ट्राइल की आवश्यकता बताई है। क्योंकि राजीनामा से सभी पक्षकार सहमत नहीं हुये थे। अतः कथित राजीनामा के आधार पर भी वादी अपीलाण्ट को लाभ प्राप्त नहीं होता है। वादी अपीलाण्ट के बाबा गंगाप्रसाद पाण्डे की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी खेवट संख्या 90 रकवा 107 बीघा 13 विस्वा वाके भुसावर संवत 1995 थी जिसमें 2/3 हिस्सा आराजी प्रतिवादी रैस्पो0 रूपकिशोर व शंकरलाल को प्राप्त हुयी व 1/3 हिस्सा आराजी वादी अपीलाण्ट के पिता ब्रहमानन्द को खेवट संख्या 67 से प्राप्त हुयी। प्रतिवादी रैस्पो0 के पूर्व पुरूषो रूपकिशोर व शंकरलाल को खेवट संख्या 66 प्राप्त हुयी, जो जमाबन्दी संवत 2008–2011 में अंकित है। परन्तु वादी अपीलाण्ट के पिता ब्रहमानन्द ने खेवट संख्या 67 की आराजी का मालिकाना अधिकार का मुआवजा राज्य सरकार से प्राप्त कर लिया, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य बांड संख्या 15306 लगायत 15311 से सिद्ध है। इसके अलावा आराजी का लगान वसूल ना होने पर तहसीलदार वैर ने वादी अपीलाण्ट के पिता को मफरूर करते हुये जरिये नामान्तकरण संख्या 967 दिनांक 09.07.1957 को खेवट संख्या 67 की आराजी से वादी अपीलाण्ट के पिता को बेदखल करते हुये कब्जा आराजी किरोडीलाल पाण्डेय को दे दिया, जो प्रदर्श डी–7 से प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित आराजी पर संवत 2009 से ना तो वादी अपीलाण्ट के पिता का एवं ना ही वादी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त साबित होता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी का पूर्व में विभाजित होकर पृथक–पृथक खेवट में दर्ज हो गयी। अतः वादी अपीलाण्ट ना तो विवादित आराजी को पुनः विभाजित करा सकते हैं एवं ना ही कब्जा ही प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से वादी अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 02.02.2011 व डिक्री दिनांक 16.03.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर